समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–115/2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

शिव कुमार यादव

–::आदेश::–

02.06.2023 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–05/2023, दिनांक–04.02.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि पिण्ड्राजोरा थाना कांड सं0–119/2022 दिनांक–23.09.2022, धारा–414/420/467/468/471/472/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act. एवं 09/13 JMR के अन्तर्गत जप्त ट्रक पंजीयन सं0–NL01AC-9850 एवं उस पर लदा लगभग 25 टन अवैध कच्चा कोयला खनिज वाहन मालिक श्री शिव कुमार यादव पिता रामकिशुन यादव के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं कोयला को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए अभिलेख में उपलब्ध पते पर निबंधित डाक के माध्यम से सूचित किया गया। किन्तु भेजा गया नोटिस बिना तामिला के वापस प्राप्त है। जप्त ट्रक पंजीयन सं0–NL01AC-9850 एवं उस पर लदा लगभग 25 टन अवैध कच्चा कोयला के विमुक्ति हेतु अब तक किसी के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्टतः उक्त वाहन के मालिक को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा बिना वैध कागजात के ही प्रश्नगत कोयले परिवहन किया जा रहा था। कोयले के अवैध खनन कर परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। अतः Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and

Scanned with OKEN Scanner

Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–05/2023, दिनांक–04.02.2023 को स्वीकृत करते हुए पिण्ड्राजोरा थाना कांड सं0–119/2022 दिनांक–23.09.2022, धारा–414/420/467/468/471/472/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act. एवं 09/13 JMR के अन्तर्गत जप्त ट्रक पंजीयन सं0–NL01AC-9850 एवं उस पर लदा लगभग 25 टन अवैध कच्चा कोयला खनिज को राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

02.6.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

02.6.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.15 17:39:06 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with OKEN Scanner